राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1925/2013/जय

सहायक आयुक्त,
वाणिज्यिक कर विभाग, वृत–ए, जयपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

मै. मेडीकल केयर सिस्टम,
आदर्श नगर, जयपुर

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ कैम्प जयपुर
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी राजस्व की ओर से

श्री एस.के.जैन,
अभिभाषक .....अप्रार्थी व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक : 09/11/2016

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), प्रथम वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 13/अपील्स–I/आरवीएटी/जयपुर/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 05.04.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–अ, जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दि. 13.02.2012 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवद्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) के तहत कायम विलम्ब शुल्क रूपये 2,72,154/– एवं ब्याज रूपये 1,21,347/– कुल राशि रूपये 3,93,501/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 2009–10 के चारों तिमाही बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से पेश किये जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में विलम्ब शुल्क एवं शास्ति को अपास्त कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

क्रमशः.....2

4. प्रत्यार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि वर्ष 2009–10 का देय कर का भुगतान दिनांक 30.09.2011 से पूर्व कर दिया गया है तथा चारों तिमाही बिक्री विवरण प्रपत्र मय ऑडिट रिपोर्ट के दिनांक 30.09.2011 से पूर्व कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये है।

5. उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

6. अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश में लिखा है कि अधिसूचना क्रमांक एफ. 12(92)एफडी/टैक्स/2011–46 दिनांक 15.09.2011 के अनुसार किसी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2009–10 में देय समस्त कर का भुगतान दिनांक 30.09.2011 तक कर दिये जाने तथा सभी रिटर्नस को दिनांक 30.09.2011 तक कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये जाने पर देय ब्याज एवं शास्ति से छूट प्रदान की गयी है। यह भी लिखा है कि उपलब्ध रिकार्ड से विदित है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 2009–10 का देय कर का भुगतान दिनांक 30.09.2011 से पूर्व कर दिया गया है तथा चारों तिमाही बिक्री विवरण प्रपत्र मय ऑडिट रिपोर्ट के दिनांक 30.09.2011 से पूर्व कर निर्धारण के समक्ष पेश कर दिये गये है।

7. अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.04.2013 उचित होने से उसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अतः विभाग द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है।

8. आदेश प्रसारित किया गया।

(**खेमराज**)
अध्यक्ष